राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 43 / 2021 दायर दिनांकः—09.07.2021

## पीठासीन अधिकारी—श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. बिरदा पुत्र मोहन, जाति खटीक, आयु लगभग 70 वर्ष,
2. अमरचन्द पुत्र मोहनलाल, जाति खटीक, आयु लगभग 46 वर्ष

निवासी—ग्राम नरेना, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान

————वादीगण

**बनाम**

1. कानाराम पुत्र हीरालाल, जाति बैरवा, निवासी—ग्राम चुरली, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
3. उपपंजीयक महोदय रूपनगढ़ जिला अजमेर।

————प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा. का. अधि. 1955 एवं धारा 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

## निर्णय

दिनांक 22.09.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नरेना पटवार क्षेत्र जूणदा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित पुराने ख0न0 52 / 3 रकबा 14—08 बीघा जिसके नया ख0न0 741 / 52 है। जिसमें वादी संख्या 01 का हिस्सा 17 / 72 एवं वादी संख्या 02 का हिस्सा 55 / 72 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 01 की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम नरेना पटवार क्षेत्र जूणदा में स्थित है जिसके पुराने ख0न0 52 / 4 रकबा 04 बीघा जिसके नया ख0न0 742 / 52 है। वादी संख्या 01 ने मूल ख0न0 52 / 3 कुल रकबा 18—08 बीघा में से 04 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बैचान की गई थी जिसका राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 505 दिनांक 06.08.2007 के द्वारा दर्ज की गई थी। वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकलें पटवार हल्का से प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी संख्या 01 से खरीद की गई 04 बीघा भूमि की तरमीम नक्शा ट्रेस में करवाई गयी तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी खरीदशुदा भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की तरमीम भी वादीगण की खातेदारी भूमि में से वादीगण का बिना सूचना व बिना सहमति के प्रतिवादी संख्या 02 के अधीनस्थ कर्मचारियों से मिलीभगत करके गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में नक्शा ट्रेस में करवा ली गयी है। इसकी जानकारी होने पर वादीगण ने पटवारी हल्का से मिलकर रास्ता की तरमीम की जानकारी चाही तब पटवारी हल्का ने तरमीम शुदा रास्ता का नापचौक करके वादीगण को बताया कि उक्त तरमीम शुदा रास्ते की चौड़ाई 33 फीट है जबकि मौके पर रास्ता 13 फीट का अवस्थित है। मौके पर 33 फीट का रास्ता ही नहीं है उक्त गलत तरमीम के 33 [illegible] आ रहे है। अतः गलत तरमीम दुरस्त करावे। तब प्रतिवादी संख्या 01 ने कहा कि मैंने जो [illegible] ली है वो ही रहेगी और उसे दुरुस्त नहीं करवाउगा। उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति [illegible] जो 33 फीट के रास्ते में आते है उसको भी जबरदस्ती ध्वस्त करवा [illegible] ले लेंगे [illegible]वादी संख्या 01 उसकी खातेदारी भूमि को अन्य व्यक्तियों को भू—उपयोग परिवर्तन [illegible] करने पर आमादा हो रहा [illegible] गलत रास्ते की तरमीम के अनुसार ही अन्य बलशाली व्यक्तियों को उसकी [illegible] का बैचान, हस्तान्तरण क[illegible] धमकियां देकर वादीगण के मकानात को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु यह वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ग्राम नरेना के वर्तमान ख0न0 880 / 52 की राजकीय सिवायचक गै.मु.रास्ता जो कि नामान्तकरण संख्या 1485 में समर्पण आदेश से ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.12.15 14:53:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

742/52 रकबा 04 बीघा में से 01 बीघा भूमि का समर्पण होने से राजकीय खाते में गै.मु.रास्ता दर्ज कर दिया गया है। जिसको हटाये जाकर मौके पर मौजूद रास्ते अनुसार पूर्व खातेदार के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रकरण में पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम नरेना की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 147 में ख0न0 741/52 (पुराना ख0न0 52/3) रकबा 14–04 बीघा बिरदा पुत्र मोहन (वादी संख्या 01) हिस्सा 17/52 व अमरचन्द पुत्र मोहनलाल (वादी संख्या 02) हिस्सा 55/72 जाति खटीक सा0देह खातेदार राहिन अमरचन्द पुत्र मोहन का हिस्सा 55/72 बैंक ऑफ बडौदा शाखा हरमाड़ा के नाम दर्ज है। ग्राम नरेना की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 23 में ख0न0 742/52 (पुराना ख0न0 52/4) रकबा 04–00–00 बीघा कानाराम पुत्र हीरालाल (प्रतिवादी संख्या 01) जाति बैरवा नि0 ग्राम चुरली तह0 किशनगढ़ जिला अजमेर के नाम दर्ज थी जिसमें से प्रतिवादी संख्या 01 कानाराम द्वारा 01 बीघा भूमि रास्ते हेतु राजहित में समर्पण करने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 1485 स्वीकृत दिनांक 02.07.2021 से नवीन ख0न0 880/52 रकबा 01 बीघा गै.मु.रास्ता सिवायचक व ख0न0 742/52 रकबा 03 बीघा कानाराम पुत्र हीरालाल (प्रतिवादी संख्या 01) जाति बैरवा नि0 ग्राम चुरली तह0 किशनगढ के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। वादी संख्या 01 बिरदा पुत्र मोहन ने मूल ख0न0 52/3 रकबा 18–08 बीघा मे से 04 बीघा भूमि प्रतिवादी सेख्या 01 कानाराम पुत्र हीरालाल बैरवा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय की गई थी। जिसका राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 505 स्वीकृत दिनांक 06.08.2007 से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज किया गया जो सही है। इसी नामान्तरकरण संख्या के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा खरीदशुदा भूमि ख0न0 52/4 वर्तमान ख0न0 742/52 की रिकार्ड में तरमीम की गई थी। वादी संख्या 01 ने बिरदा पुत्र मोहन ने मूल ख0न0 52/3 रकबा 18–08 बीघा मे से 04 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 कानाराम पुत्र हीरालाल बैरवा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय की गयी थी जिसका राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 505 स्वीकृत दिनांक 06.08.2007 से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज किया जाकर प्रतिवादी कानाराम द्वारा खरीदशुदा भूमि की तरमीम नामान्तकरण संख्या 505 के अनुसार पूर्व में ही की गई थी। वर्तमान कोई नवीन तरमीम नहीं की गई है प्रतिवादी संख्या 01 कानाराम पुत्र हीरालाल जाति बैरवा नि0 ग्राम चुरली ने वादी संख्या 01 से खरीदशुदा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम नरेना के ख0न0 742/52 कुल रकबा 04–00 बीघा में से 01–00 बीघा भूमि स्वेच्छा से रास्ता उपयोग हेतु राजहित में समर्पण करने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.06.2021 को प्रतिवादी संख्या 02 के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसील रूपनगढ़ के आदेश क्रमांक/भू0अ0/समर्पण/2021/81 दिनांक 24.06.2021 से राजहित में रास्ता उपयोग हेतु समर्पित रास्ता भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश जारी किया गया था जिसके अनुसार जरिये नामान्तकरण संख्या 1485 स्वीकृत दिनांक 02.07.2021 से नवीन ख0न0 880/52 रकबा 01–00 बीघा गै.मु.रास्ता सिवायचक व ख0न0 742/52 रकबा 03–00 बीघा कानाराम पुत्र हीरालाल (प्रतिवादी संख्या 01) जाति बैरवा निवासी ग्राम चुरली तह0 किशनगढ़ के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है उक्त समर्पण के द्वारा पूर्व में नामा0 संख्या 505 के अनुसार समर्पणकर्ता की खातेदारी भूमि ख0न0 742/52 की तरमीम में से रास्ता समर्पण करने के आदेश जारी किया गया है। केवल रास्ता जहां बन्द होना है उस बिन्दु की नवीन तरमीम की गई है इसके अलावा पूर्व की तरमीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से सहमति स्वरूप जवाब पेश किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने दावा स्वीकार करने बाबत सहमति व्यक्त की। तद्नुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नरेना के ख0न0 742/52 की रिकार्ड एवं मौके अनुसार तरमीम शुद्धि करने के आदेश दिये जाते है एवं वादीगण के मकानात को किसी भी तरह की क्षति नहीं [illegible] में किसी तरह की बाधा, रूकावट पैदा नहीं किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी [illegible] पाबन्द किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.12.15 14:53:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

# अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस

राजस्व वाद सं0 43/2021

1. बिरदा पुत्र मोहन, जाति खटीक, आयु लगभग 70 वर्ष,
2. अमरचन्द पुत्र मोहनलाल, जाति खटीक, आयु लगभग 46 वर्ष

निवासी–ग्राम नरेना, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान

————वादीगण

**बनाम**

1. कानाराम पुत्र हीरालाल, जाति बैरवा, निवासी–ग्राम चुरली, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
3. उपपंजीयक महोदय रूपनगढ़ जिला अजमेर।

————प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा. का. अधि. 1955 एवं धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नरेना के ख0न0 742/52 की रिकार्ड एवं मौके अनुसार तरमीम शुद्धि करने के आदेश दिये जाते है एवं वादीगण के मकानात को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुँचाने, कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा, रूकावट पैदा नहीं किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.09.2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.12.15 14:53:35 IST
Reason: SelfAttested